न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 30 / 2013 जिला अलवर

1. प्रभूदयाल पुत्र श्री रामजीवन, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्रम मुरलीपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर ।
2. हीरा लाल पुत्र नारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्रम मुरलीपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर दिनांक 18.5.2000

उपस्थित –

1. वकील अपीलान्ट श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता
2. राजकीय अभिभाषक
3. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 श्री धमेन्द्र जैसावत

निर्णय

दिनांक– 4.1.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 18.5.2000 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर के समक्ष दिनांक 4.4.2012 को अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत दुरूस्ती नक्शा ग्रम मुरलीपुरा, तहसील राजगढ प्रस्तुत किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन जोहड वाके ग्रम मुरलीपुरा तहसील राजगढ जमाबन्दी संवत 2037 में सिवायचक बिला लगानी दर्ज है । मुताबिक बन्दोबस्त संवत 2046 गत खसरा नम्बर 41 के हाल खसरा नम्बर 134 / 0.06, 145 / 0.18, 146 / 0.57 बनने दर्शाये हैं । मौके की जॉच के अनुसार गत एवं हाल नक्शे के मिलान के अनुसार गत आराजी खसरा नम्बर 41 से हाल खसरा नम्बर 130 मिन, 132, 133 मिन, 135 मिन एवं 145, 146 बनने चाहिये थे । बन्दोबस्त संवत 2046 में गत खसरा नम्बर 41, 42, 43, 44, 45 से बनने वाले हाल खसरा नम्बर 130, 132, 133, 134, 135, 126, 127, 145, 146 का मिलान क्षेत्रफल गत के विपरीत एवं तोडमोड कर बनाया गया है तथा उसी के अनुरूप गलत नक्शा तैयार किया गया है जैसे की हाल खसरा नम्बर 133 गत खसरा नम्बर 45 तथा हाल खसरा नम्बर 134 गत खसरा नम्बर 41 से बनना बताया है जो मौके के कतई विपरीत है जबकि मौके के अनुसार सत्यता है कि हाल खसरा नम्बर 133 गत खसरा नम्बर 43 खातेदारी भूमि एवं गत खसरा संख्या 41 सिवाय जोहड से बना है इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 132 में भी गत खसरा नम्बर 41 की भूमि मिली हुई है । इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 41 की भूमि हाल खसरा नम्बर 130, 132, 133 में मिलाकर गलत नक्शा बनाया है जिसमें समीपवर्ती खातेदारान को अनुचित लाभ दिया है । गत खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

नम्बर 43 से वर्तमान खसरा नम्बर 126, 127, 132 मिन 133 मिन, 130 मिन, 129 मिन, 120 मिन मुताबिक गत एवं हाल नक्शा से बने हैं, किन्तु मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 43 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 126 रकबा 0.19, 127/ 0.20, 132/0.23 बनने बताकर गलत मिलान क्षेत्रफल बनाकर जोहडी की भूमि गत खसरा नम्बर 41 को खातेदारी में शामिल किया गया है । गत नक्शा हाल नक्शा के मिलान के अनुसार गत खसरा नम्बर 41 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा का नक्शा हाल खसरा नम्बर 130 मिन, 132 मिन, 133 मिन, 135 मिन में कुल 0.12 ऐयर रकबा मिला हुआ है तथा शेष रकबा 145, 146 में है । गत खसरा नम्बर 41 गैर मुमकीन जोहडी का क्षेत्रफल वर्तमान जमाबन्दी में पूर्ण दिखाया गया है, परन्तु मौके पर नक्शा हाल खसरा नम्बर 130, 132, 133, 135 में मिलाया हुआ है जिसकी पूर्ति हाल नक्शे में ए. से .बी. प्रस्तावित सुर्ख स्याही से की जानी है । जिला कलक्टर सतर्कता प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रार्थना पत्र बाबत गैर मुमकीन जोहड ग्रम मुरलीपुरा की भूमि की जॉच कानूनगो हल्का से कराये जाने पर बन्दोबस्त विभाग की उक्त अवैध कार्यवाही उजागर हुई है जिससे सिवायचक राजकीय भूमि गैर मुमकीन जोहड की दुरूस्ती किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान भू प्रबन्ध संवत 2046 में तैयार किया गया है । नक्शा गत खसरा नम्बर 41 के विपरीत है । अतः गत खसरा नम्बर 41 के नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा दुरूस्त किया जाना उचित है । इस प्रकार गलत नक्शा आ जाने से ग्रम के लोगों द्वारा उक्त जोहड की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है । अतः राजकीय भूमि गैर मुमकीन जोहड (सार्वजनिक को अतिक्रमण से बचाने के लिये बन्दोबस्त भूल को दुरूस्त करने के लिये गत आराजी खसरा नम्बर 41 के अनुसार हाल नक्शा दुरूस्त किया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर ने तहसीलदार राजगढ के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.2000 पारित कर गत आराजी खसरा हनमबर 41 वाके ग्रम मुरलीपुरा तहसील राजगढ के गत नक्शे के अनुसार हाल नक्शे में नियमानुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये ।

उप खण्ड अधिकारी राजगढ के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रभूदयाल द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी राजगढ दिनांक 18.5.2000 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित कराया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन आदेश का जानकारी समय पर अपीलान्ट को नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे । खसरा नम्बर 41 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 0.18 ऐयर, 146 रकबा 0.57 ऐयर बने हैं जिसका रकबा पूर्ण है तथा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा संवत 2046 में जो नक्शा बनाया गया है वह सही है । हाल खसरा नम्बर 135 गैर मुमकीन रास्ता है जिसमें होकर अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी में आते जाते हैं यदि खसरा नम्बर 135, 130, 132, 133 को खसरा नम्बर 145, 146 का भाग मान लिया जावेगा तो अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी कम हो जावेगी और उनका रास्ता अवरूद्ध हो जावेगा । आराजी खसरा नम्बर 133 में अपीलान्ट का चाह बना हुआ है जिससे वह खेती कर परिवार का पालन पोषण करता है । यदि खसरा नम्बर 145,

146 में खसरा नम्बर 133 का रकबा शामिल कर दिया गया तो अपीलान्ट को भारी हानि होगी । उनका यह भी कहना था कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्कोप बहुत ही सीमित है जिसके अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से गत नक्शे के अनुसार हाल नक्शे को दुरूस्त करने का आदेश दिया है जो धारा 136 एल.आर.एक्ट की परिधी में नहीं आने से विधिविरूद्ध ,त्रंटिपूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1977 पेज 276, आर.आर.डी. 1994 पेज 505, आर.आर.टी. 2014 पेज 1111, आर.आर.डी. 2008 पेज 34, आर.आर.टी. 2001 पेज 1236,आर.आर.डी. 1991 पेज 492, आर.आर.सी. 1996 पेज 372, आर.आर.डी. 1992 पेज 117, आर.आर.टी. 2011–12 सप्लीमेन्ट्री पेज 673, आर.आर.डी. 1990 पेज 460, आर.बी. जे. 2016 पेज 547, आर.आर.सी. 2000 पेज 164 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर पारित कर गत आराजी खसरा नम्बर 41 के गत नक्शे के अनुसार हाल नक्शा नियमानुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये हैं । विवादित भूमि में गैर मुमकीन जोहड को अतिक्रमण से बचाने के लिये गत नक्शे के अनुसार हाल नक्शा दुरूस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित हुआ है जो धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार पारित किया जा सकता है । विवादित भूमि पर तरमीम हो चुकी है और तरमीम की नकल ले ली गई है । अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है और विलम्ब का प्रतिदिन का कारण स्पष्ट नहीं किया हुआ है जिससे प्रथमतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज की जावे । उनका कहना था कि खसरा नम्बर 133 में कोई कुवा / बोरिंग नहीं है तथा न ही अपीलान्ट की भूमि की मेड को तोडा गया है और न ही भूमि के क्षेत्रफल को कम किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 264, आर.आर.डी. 1997 पेज 504, आर.एल.डब्ल्यू. 2015 (3) पेज 2313, आर.आर.डी. 2006 पेज 275, आर.आर.डी. 2006 पेज 414, आर.आर.डी. 2012 पेज 742, आर.एल.डब्ल्यू. 2014 (2) 1293 (एस.सी.), आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711,आर.आर.टी.2017 (1) पेज 117, की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

चित्रा
प्रतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर द्वारा उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर को एक प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर गत आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैरमुमकीन जोहड वाके ग्रम मुरलीपुरा सिवायचक बिला लगानी के हाल खसरा नम्बर 134/0.06, 145/0.18, 146/057 बने जबकि गत खसरा नम्बर 41 से हाल खसरा नम्बर 130 मिन, 132 मिन, 133 मिन, 135

मिन एवं 145, 146 बनने चाहिये थे एवं नक्शा भी गत मिलान क्षेत्रफल के विपरीत एवं तोड मरोड कर बनाये जाने से एवं राजकीय भूमि गैरमुमकीन जोहड (सार्वजनिक) को अतिक्रमण से बचाने के लिये बन्दोबस्त विभाग की भूल को दुरूस्त करने के लिये गत आराजी खसरा नम्बर 41 के अनुसार हाल नक्शा दुरूस्त कराने की आज्ञा पारित किये जाने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर गत आराजी खसरा नम्बर 41 वाके ग्रम मुरलीपुरा तहसील राजगढ के गत नक्शे के अनुसार हाल नक्शे में नियमानुसार दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) को अधिकार है कि भू अभिलेख में हुई त्रुटि की दुरूस्त कर सकता है । इस प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैरमुमकीन जोहड वाके ग्रम मुरलीपुरा सिवायचक बिला लगानी के हाल खसरा नम्बर 134/0.06, 145/0.18, 146/057 बनाये गये तथा नक्शा भी गत खसरा नम्बर के विपरीत बनाये जाने में त्रुटि हुई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से दुरूस्त करने के आदेश दिये हैं , जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अपील अपीलान्ट मियाद बाहर भी है तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं होने से भी अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर